राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक परिसर, अरेरा हिल्स,
भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक/एन.एच.एम./NIPI/2015/ 9469 भोपाल, दिनांक 21-8-15

प्रति,

1. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
   मध्यप्रदेश
2. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी (डी.पी.ओ.)
   एकीकृत बाल विकास सेवाएं, मध्यप्रदेश

विषयः– समन्वित स्वास्थ्य गतिविधि, "नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव (NIPI)/साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड अनुपूरणकार्यक्रम (WIFS)"के प्रभावी कियान्वयन हेतु संयुक्त दिशा–निर्देश।

***

नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव–परिपत्र क्रमांक 4 (2015–16)

विषयांतर्गत लेख है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 (NFHS-3) के अनुसार लगभग लगभग 58 प्रतिशत गर्भवती महिलायें, 56 प्रतिशत किशोरी बालिकायें (15 से 19 वर्ष) 30 प्रतिशत किशोरवय बालक एवं लगभग 74 प्रतिशत 5 वर्ष तक की आयु के बच्चे एनीमिया से ग्रसित हैं। आयरन की कमी से उत्पन्न एनीमिया के कारण पूरा जीवन चक्र प्रभावित होता है। लगभग 20–40 प्रतिशत मातृ मृत्यु के प्रकरणों में अंतर्निहीत कारण एनीमिया होता है। एत्एव एनीमिया की रोकथाम हेतु नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव कार्यक्रम (NIPI)/साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम (WIFS) कार्यक्रम का संचालन स्वास्थ्य विभाग द्वारा, स्कूल शिक्षा विभाग, एकीकृत बाल विकास सेवायें तथा आदिम जाति कल्याण विभाग के समन्वय से किया जाना है।

NIPI/WIFS कार्यक्रम के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिए जाते हैं :–

- NIPI/WIFS कार्यक्रम के एकीकृत बाल विकास सेवाएं के अधीनस्थ आंगनवाडी केन्द्रों के माध्यम से 6 माह से 60 माह के बच्चों, 5 वर्ष से 10 वर्षीय शाला त्यागी/शाला अप्रेशी बच्चों, 10 से 19 वर्षीय किशोरवय त्यागी/अप्रेशी बालिकाओं, (WIFS कार्यक्रम), गर्भवती एवं धात्री माताओं तथा 20 से 45 वर्षीय प्रजननकालिक महिलाओं में आयरन फॉलिक एसिड अनुपूरण किया जाना है।
- विभिन्न हितग्राही समूहों के लिए आई.एफ.ए. डोज़ निम्नानुसार निर्धारित हैः–

क्र.	आयु समूह	आई.एफ.ए. का डोज	सेवा प्रदायगी
1	6 माह से 5 वर्ष के बच्चे	आई.एफ.ए. सीरप सप्ताह में 2 बार मंगलवार एवं शुकवार (ऑटो डिस्पेंसर द्वारा) जिसके 1 एम.एल. में 20 एम.जी. एलिमेंटल आयरन एवं 0.1 एम.जी. फोलिक एसिड हो।	• आशा द्वारा समस्त बच्चों को मंगलवार एवं शुकवार को मोबेलाइज कर आंगनवाड़ी केन्द्र पर समक्ष में प्रदायगी (Supervised Supplementation)। • आशा कार्यकर्ता को रूपये 1 /– प्रति बच्चे के मान से प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति (अधिकतम रू.100/– प्रति माह)।
2	5 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चे	1 आई.एफ.ए. गुलाबी गोली (WIFS Junior) प्रति सप्ताह (45 एम.जी. एलिमेंटल आयरन एवं 0.4 एम.जी. फोलिक एसिड)	• प्राथमिक शालाओं (कक्षा 1 से 5) में शिक्षकों की निगरानी में प्रदायगी। • शाला त्यागी/शाला अप्रवेशी बच्चों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से प्रदायगी।
3	10 से 19 वर्ष के किशोरवय	1 आई.एफ.ए. नीली गोली प्रति सप्ताह (100 एम.जी. एलिमेंटल आयरन एवं 0.5 एम.जी. फोलिक एसिड)	• माध्यमिक/उच्च/उच्चतर माध्यमिक शालाओं (कक्षा 6 से 12) में शिक्षकों द्वारा प्रदायगी। • शाला त्यागी/शाला अप्रवेशी 10 से 19 बर्षीय किशोरी बालिकाओं को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से प्रदायगी।

- आई.एफ.ए. गोली/सीरप अनुपूरण के कुछ सामान्य साईड इफेक्टस (जैसे– उल्टी, जी घबराना, काली टट्टी होना, जीभ काली होना आदि) हो सकते हैं। उस परिस्थिति में हितग्राही को आई.एफ.ए. सेवन बंद ना करने की समझाईश दी जाए।

- ज्ञातव्य हो कि प्रदेश में चिन्हित जिलों में किए गए प्रीवलेन्स सर्वेक्षण अनुसार वर्म लोड 20 प्रतिशत से कम है तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसार 20 प्रतिशत से कम वर्म लोड होने पर कृमिनाशक (एल्वेण्डाजॉल गोली–Chewable 400 mg) वर्ष में 1 बार एक निश्चित दिन पर नेशनल डीवर्मिंग डे के अंतर्गत प्रदायगी सुनिश्चित की जाए।
- विभिन्न हितग्राही समूहों में कृमि संक्रमण की रोकथाम के लिए एल्बेन्डाजॉल का डोज़ निम्नानुसार निर्धारित है:–

क्र.	आयु समूह	एल्बेन्डाजॉल का डोज	सेवा प्रदाता
1	1 वर्ष से 2 वर्ष के बच्चे	एल्बेन्डाजॉल – आधी गोली (Chewable 200 एम.जी.) नेशनल डीवर्मिंग डे के अंतर्गत	आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदायगी।
2	2 वर्ष से 19 वर्ष के बच्चे	एल्बेन्डाजॉल – पूरी गोली (Chewable 400 एम.जी.) नेशनल डीवर्मिंग डे के अंतर्गत	• शालाओं में शिक्षकों द्वारा • शाला त्यागी एवं शाला अप्रवेशी बच्चों को आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदायगी।

NIPI/WIFS कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग का दायित्व –

- स्वास्थ्य विभाग उपरोक्त NIPI/WIFS कार्यक्रम के संचालन हेतु नोडल विभाग है, अतैव समस्त हितग्राही समूहो के लिए आवश्यक आई.एफ.ए. (नीली एवं गुलाबी)/एल्बेण्डाजोल गोलियों का क्रय एवं निर्बाध उपलब्धता, अनुपूरण की निगरानी तथा समय–सीमा में एकीकृत बाल विकास सेवाएं के समन्वय से रिपोर्टिंग प्राप्त करने हेतु उत्तरदायी होगा।
- NIPI कार्यक्रम के अंतर्गत आयरन अनुपूरण के उपरांत किसी भी अप्रिय लक्षण के उपचार हेतु फर्स्ट एड किट में आवश्यक औषधियों का 1 किट जिसमें उल्टी, पेट दर्द, ओ.आर.एस. घोल के पैकेट, एन्टी एलर्जिक गोलियों के 5 पैकेट/10 x 10 Strip की व्यवस्था भी समस्त आंगनवाडी केन्द्रों में सेक्टर मेडीकल अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाए।
- NIPI कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को आई.एफ.ए. गोली के अनुपूरण, डोज, सावधानियॉं आदि के बारे में उन्मुख किया जाए।
- जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर NIPI/WIFS एडवायजरी कमेटी का गठन किया जाकर प्रतिमाह कलेक्टर की अध्यक्षता में कार्यक्रम की समीक्षा समस्त स्टेकहोल्डर की उपस्थिति में की जाए।

  औषधियों की उपलब्धता एवं समय–सीमा में रिपोर्टिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए।
- रिर्पोटिंग प्रपत्र के रजिस्टर स्वास्थ्य विभाग द्वारा शालाओं में उपलब्ध करायी जाएं।
- पूर्व अनुभवों को दृष्टिगत रखते हुए आई.एफ.ए. वितरण तथा रिपोर्टिंग प्रणाली में संशोधन करते हुए शालाओं से रिर्पोट प्राप्त करने की जवाबदेही आशा कार्यकर्ता को दी गयी है। आशा कार्यकर्ता द्वारा आई.एफ.ए. अनुपूरण की रिपोर्ट शालाओं एवं आंगनवाडी केन्द्रो से लेकर आशा सहियोगनी/ए.एन.एम./एम.पी.डब्ल्यू. को प्रत्येक माह की 3 तारीख तक प्रदान की जाए। नवीन संशोधित रिर्पोटिंग प्रणाली निम्नानुसार है :–

आंगनवाडी केन्द्रों के माध्यम से रिर्पोटिंग प्रणाली

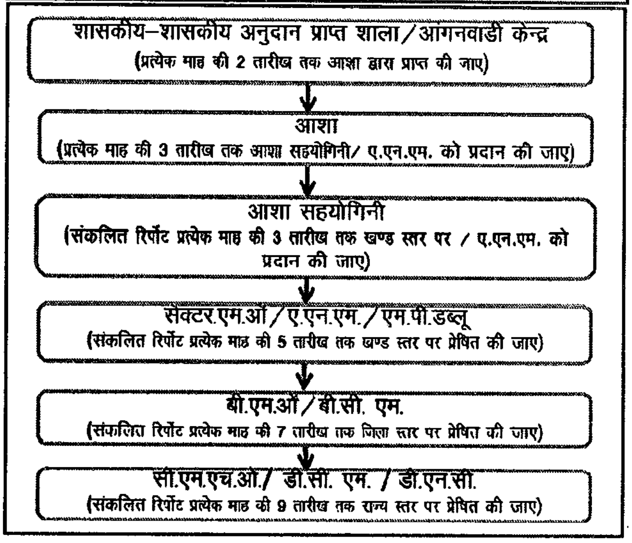

एकीकृत बाल विकास सेंवाएं का दायित्व –

- एकीकृत बाल विकास सेंवाएं के अधीनस्थ जिला कार्यक्रम अधिकारीयों एवं परियोजना अधिकारीयों का दायित्व, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उनके अधीनस्थ आंगनवाडी केन्द्रों के अन्तर्गत पंजीकृत बच्चों की संख्या उपलब्ध कराना होगा ताकि तदानुसार क्रय हेतु नियमानुसार आंकलन किया जा सके।

- जिला स्तर पर एकीकृत बाल विकास सेवाएं के अधिकारियों की अर्न्तविभागीय मासिक बैठकों में कार्यक्रम के संबंध में उन्मुखीकरण एवं समीक्षा की जाए।
- NIPI/WIFS कार्यक्रम के अन्तर्गत आई.एफ.ए. अनुपूरण एवं कृमिनाशन विषय के सत्र को एकीकृत बाल विकास सेवाएं के प्रशिक्षण मॉड्यूल में समावेशित किया गया है। जिससे परियोजना अधिकारीयों, पर्यवेक्षकों एवं आंगनवाडी कार्यकर्ता को कार्यक्रम के संबंध में उन्मुख किया जाए।
- **यदि किसी कारणवश जैसे शासकीय अवकाश अथवा लाभार्थी के अनुपस्थिति के कारण मंगलवार को आई.एफ.ए. का अनुपूरण नहीं किया जा सका हो तो आगामी दिवस (बुधवार को) पर आई.एफ.ए. अनुपूरण सुनिश्चित किया जाए।**
- आंगनवाडी केन्द्रों में आई.एफ.ए. की नीली/गुलाबी गोलियों, आई.एफ.ए. सिरप एवं एल्बेण्डाजोल गोली के सुरक्षित रख–रखाब की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- **यदि लाभार्थी कहीं बाहर जा रहा है तों लाभार्थी की संख्या एवं सप्ताह की गणना कर आंगनवाडी कार्यकर्ता द्वारा आई.एफ.ए. दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।**
- आंगनवाडी कार्यकर्ता/आशा कार्यकर्ता गोली देने से पूर्व निम्न बातों को लाभार्थी एवं अभिभावकों को अवश्य बताएं :–
  1. आई.एफ.ए. की गोली खाली पेट न खाएं।
  2. आई.एफ.ए. की गोली चबाकर न खाए तथा आई.एफ.ए. की गोली पानी के साथ निगलकर खाएं।
  3. किसी भी प्रकार की बिमारी होने पर आई.एफ.ए. गोली का सेवन न करें।
  4. किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव होने पर नजदीकी स्वास्थ केन्द्र पर सम्पर्क करें।
  5. नेशनल डिवॉर्मिग डे के अन्तर्गत एलबेन्डाजॉल की गोली चबाकर ही खाएं।
- एकीकृत बाल विकास सेवाएं की समीक्षा बैठकों में नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव कार्यक्रम (NIPI) की भी मासिक समीक्षा की जाए एवं आंगनवाडी कार्यकर्ताओं द्वारा समय–सीमा में रिपोर्ट आशा के माध्यम से विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए।

o/c पुष्पलता सिंह
आयुक्त,
एकीकृत बाल विकास सेवाएं, म.प्र.

o/c फैज़ अहमद किदवई
मिशन संचालक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन.,म.प्र.

पृ.क्रमांक/एन.एच.एम./NIPI/2015/ 9470 **भोपाल, दिनांक 21-8-15**

प्रतिलिपिः– आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

1. **मुख्य सचिव, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, वल्लभ भवन, मध्यप्रदेश।**
2. **प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वल्लभ भवन मध्यप्रदेश।**
3. **स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश।**
4. **समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश।**
5. **समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, मध्यप्रदेश।**
6. **समस्त जिला कलेक्टर, मध्य प्रदेश।**
7. **पोषण अधिकारी, यूनिसेफ भोपाल।**
8. **राज्य कार्यकम प्रतिनिधि, माइक्रोन्यूट्रिएन्ट इनिशिएटिव, मध्यप्रदेश।**
9. **राज्य कार्यकम प्रबन्धक, डीवर्म द वर्ल्ड इनिशिएटिव, मध्यप्रदेश।**
10. **समस्त, संभागीय कार्यक्रम प्रबंधक, आर.सी.एच./एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।**
11. **समस्त, जिला कार्यक्रम अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, मध्यप्रदेश।**
12. **समस्त, जिला कार्यकम प्रबंधक, आर.सी.एच./एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।**
13. **समस्त, जिला पोषण सलाहकार, आर.सी.एच./एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।**

o/c आयुक्त,
एकीकृत बाल विकास सेवाएं, म.प्र.

o/c मिशन संचालक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन.,म.प्र.